–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभापकगण :

1. श्री सुखदेव सिंह — वादीगण
2. श्री जितेन्द्र सरपाल — प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 ता 11
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 12

प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.01.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम चक 5 ए (छोटी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/43 के मुरब्बा नम्बर 09 में 0.253 है. कृषि भूमि संयुक्त खाता में तथा मुरब्बा नम्बर 25 के 6.2000 है. कुल 6.453 नहरी है, नहरी मय बाग कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में अभिवर्णित है, वादी संख्या 1 कृष्ण गोयल भूमि राजस्व रिकोर्ड में अभिवर्णित है, वादी संख्या 1 कृष्ण गोयल 506/6453 यानि 0.506 है. कृषि भूमि व वादी संख्या 2 रिम्पी गोयल 506/6453 यानि 0.506 है की कृषि भूमि कुल 1.012 है. संयुक्त खाता राजस्व रिकोर्ड में अभिवर्णित हैं। चालु जमाबंदी वाद–पत्र के साथ संलग्न हैं। कुछ वर्ष पहले वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य परस्पर घरेलू बंटवारा हुआ, इस बंटवारे के अनुसार अलग–अलग अपने कब्जा के अनुसार बीघों में वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी कृषि जोत करने लगे, वादीगण के पास मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 3/0358, 8/0358, 13/0358, 18/.0358, 23/033, 02/.1707, 09/1707, 12/.1707, 19/1707. 22/152 कुल 1.012 है. अर्थात 4.00 बीघा कृषि भूमि घरेलू बंटवारे के अनुसार प्राप्त हुई और यह कृषि भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में रही है और इस कृषि भूमि पर वादीगण प्रारम्भ से आज तक जोत काश्त कर रहे है, इसी बंटवारे के अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01 से 11 अपने–अपने हिस्सां के बीघा में कृषि जोत की काश्त करते आ रहें हैं। यह कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाता में होने के कारण अभय पक्षकारों को कृषि जोत करने में असुविधा होती है तथा कई बार अपूर्णीय क्षति होती है तथा कृषि जोत के लगान आदि का राजस्व सरकार को अदा करने में भी विकट असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए वादीगण संयुक्त खाता में अपने–अपने भाग के कृषि भूमि के बीघों का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है ताकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य परस्पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो तथा उभय पक्षकार सौहर्दपूर्ण वातावरण में कृषि जोत कर निर्विविदित रूप से अपना जीवन यापन करने में सक्षम रह सकें । वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से परस्पर घरेलू बंटवारे के अनरुप व प्रारम्भ से आज तक काश्त करते आ रहे अपने कब्जा की कृषि भूमि के अनुसार खाता अलग–अलग करवाने के लिए निवेदन किया व किया जाता रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 तक संयुक्त रूप से व अलग–अलग कभी तो इस हेतु आश्वासन देते रहे व कभी टालमटौल कर करते रहे हैं। आज से पांच दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने खाता अलग करवाने से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

स्पष्ट इंकार कर दिया है, यही वाद कारण (Cause of action) वादीगण को वाद प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त है, वादीगण अपने–अपने भाग व कब्जा के अनुरुप अपनी कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है ताकि जोत काश्त व राजस्व लगान यथोक्त रुप से राज्य सरकार को संदाय करने में असुविधा नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 12 राज्य सरकार कृषि भूमि का वास्तविक स्वामी (Land holder) है तहसीदार राजस्थान राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधि इस कारण राजस्थान राज्य को वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। कृषि भूमि 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की है. इसलिए वाद–पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है जो उचित कोर्ट फीस पर समयाविध में प्रस्तुत हैं। लिहाजा वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 निम्न प्रकार से खाता विभाजन की डिकी की जावें।

(क.) कि चक 5 ए (छोटी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या: –55/43 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 3/0358, 8/ 0358, 13/.0358, 18/.0358, 23/033, 02/1707, 09/:1707 12/1707, 19/1707, 22/.152 कुल 1.012 है. अर्थात 4.00 बीघा कृषि भूमि वादीगण को विभक्त कर खाता विभाजन के आदेश पारित किये जावें, तद्नुसार डिकी पारित की जावें।

(ख.) वादीगण के पक्ष में उपरोक्त कृषि भूमि का खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार अलग–अलग कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज करवाया जावें ।

(ग.) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार वाद की मद संख्या 3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी के प्रतिवादी संख्या 1 प्रभजोत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह का हिस्सा 167/717 मुरब्बा नमबर 25 के किला नम्बर 5 की 0.253, 6 की 0.253, किला नम्बर 15 में 0.253, किला नम्बर 16 में 253 व किला नम्बर 25 में 0.228 कब्जा काशत में चली आ रही हैं। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 मनजोत कौर पत्नी प्रभाजोत सिंह, हिस्सा 506/6453 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 3 की 0.157, किला नम्बर–8 की 0.157, किला नम्बर 13 की 0.157, किला नम्बर 18 की 0.157, किला नम्बर 23 की 0.141 कृषि भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास कुल 2.009 हैक्टयर भूमि कब्जा काश्त में हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्या 1 प्रभजोत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह का हिस्सा 167/717 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 की 0.253, 6 की 0.253, किला नम्बर 15 में 0.253, किला नम्बर 16 में 253 व किला नम्बर 25 में 0.228 तथा प्रतिवादी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

मनजोत कौर पत्नी प्रभाजोत सिंह, हिस्सा 506/6453 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 3 की 0.157, किला नम्बर–8 की 0.105 157, किला नम्बर 13 की 0.157, किला नम्बर 18 की 0.157, किला नम्बर 23 की 0.141 कृषि भूमि की खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिकी जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार वाद की मद संख्या 3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 जसवंती पत्नी फत्ता राम का हिस्सा 323/2157 मुरब्बा नमबर 25 के किला नम्बर 1 की 0.1977, 10 की 0.1977, किला नम्बर 11 में 0.1977, किला नम्बर 20 में 0.1977 व किला नम्बर 21 में 0.178 कुल 0.969 हैक्टयर कब्जा काशत में चली आ रही हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 6 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 6 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद–पत्र की मद संख्या 6 विधिक हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्या 6 जसवंती पत्नी फत्ता राम, का हिस्सा 323/2157 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर–1 की 0.1977, 10 की 0.1977, किला नम्बर 11 में 0.1977, किला नम्बर–20 में 0.1977 व किला नम्बर 21 में 0.178 कुल 0.969 हैक्टयर कृषि भूमि की खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिकी जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार वाद की मद संख्याः–3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है कि उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 गायत्री देवी पत्नी दयाराम का हिस्सा 61/717 मुरब्बा नमबरः– 25 के किला नम्बरः–2 की 0.0823, 9 की 0.0823, किला नम्बरः–12 में 0.0823, किला नम्बर 19 में 0.0823 व किला नम्बरः– 22 में 0.076, किला नम्बरः–1 में 0. 0295, किला नम्बर 10 में 0.0295, किला नम्बर 11 में 0.0295, किला नम्बरः–20 में 0.0295, किला नम्बरः– 21 में 0.026 कुल 549 हैक्टयर कब्जा काशत में चली आ रही हैं। वाद–पत्र की चरण संख्याः –4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्याः–7 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्याः – 3 में प्रतिवादी संख्या 7 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 6 विधिक हैं। यह कि वाद–पत्र की मद संख्या 7 विधिक हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्या 7 गायत्री पत्नी दयाराम, का हिस्सा 61/717 मुरब्बा नमबर 25 के किला नम्बरः–2 की 0.0823, 9 की 0. 0823, किला नम्बरः–12 में 0. 0823, किला नम्बर–19 में 0.0823 व किला नम्बर 22 में 0. 076, किला नम्बरः–1 में 0.0295, किला नम्बर 10 में 0.0295, किला नम्बर 11 में 0. 0295,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 20 में 0.0295, किला नम्बर 21 में 0.026 कुल 549 हैक्टयर कृषि भूमि की खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिकी जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार वाद की मद संख्याः – 3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 करणदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह का हिस्सा 403/6453 व प्रतिवादी संख्या4 कुलदीप सिंह पुत्र भाग सिंह का हिस्सा 272/2151 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 4 की 0.253, 7 की 0.253, किला नम्बरः–14 में 0.253, किला नम्बरः–17 में 253 व किला नम्बर 24 में 0.228 तथा प्रतिवादी संख्याः–5 जसवीर कौर पत्नी कुलदीप सिंह का हिस्सा 316/2151, मुरब्बा नमबरः–25 के किला नम्बर 3 की 0.0602, 8 की 0.0602, किला नम्बर–13 म 0.0602, किला नम्बरः–18 में 0.0602 व किला नम्बरः–23 में 0.054 कृषि भूमि कब्जा काशत में चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के पास कुल 1.505 हैक्टयर भूमि कब्जा काश्त में हैं। वाद–पत्र की चरण संख्याः – 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाद–पत्र की चरण संख्या – 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्याः– 3, 4 व 5 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्याः –3 करणदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह का हिस्सा 403 / 6453 व प्रतिवादी संख्याः–4 कुलदीप सिंह पुत्र भाग सिंह का हिस्सा 272/2151 मुरब्बा नमबरः–25 के किला नम्बरः–4 की 0.253, 7 की 0.253, किला नम्बर :– 14 में 0.253, किला नम्बरः –17 में 253 व किला नम्बरः– 24 में 0.228 तथा प्रतिवादी संख्याः–5 जसवीर कौर पत्नी कुलदीप सिंह का हिस्सा 316/2151, मुरब्बा नमबरः –25 के किला नम्बरः – 3 की 0.0602, 8 की 0. 0602, किला नम्बरः–13 में 0.0602, किला नम्बर 18 में 0.0602 व किला नम्बर–23 में 0.054 कृषि भूमि का खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिकी जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार यह कि वाद की मद संख्याः–3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है कि उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 हरपाल सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, का हिस्सा 56/2151 मुरब्बा नमबरः–9 के किला नम्बरः– 2 की 0.253 हैक्टयर कब्जा काशत में चली आ रही है। मन प्रतिवादी की मुरब्बा नम्बर – 25 में कोई कृषि भूमि नहीं हैं। इसलिए मुरब्बा नम्बरः–25 का विभाजन किया जाता है तो मेरी कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्याः – 3 में प्रतिवादी संख्या 11 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाद–पत्र की चरण संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार हैं कि जवाब की मद संख्याः–3 में प्रतिवादी संख्या 11 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद–पत्र की मद संख्याः–6 विधिक हैं । वाद–पत्र की मद संख्याः–7 विधिक हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्याः–11 हरपाल सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, का हिस्सा 56/2151 मुरब्बा नमबरः– 9 के किला नम्बर 2 की 0.253 हैक्टयर कृषि भूमि की खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिक्री जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 9, 10 की ओर से सहमति जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार वाद की मद संख्याः–3 में अंकित कथन के सम्बंध में निवेदन है उक्त मद में अंकित कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने से कोई विरोध नहीं है परस्पर घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 रणजीत सिंह का हिस्सा .064/6.453 व प्रतिवादी संख्या 10 बलजीत कौर पुत्री सतजीत सिंह का हिस्सा 7/717 मुरब्बा नमबर 25 के किला नम्बरः–1 की 0.0258, 10 की 0.0258, किला नम्बर 11 में 0.0258, किला नम्बर 20 में 0.0258 व किला नम्बर 21 में 0.024 कुल 1.27 हैक्टयर भूमि कब्जा काश्त में हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 5 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि जवाब की मद संख्या 3 में प्रतिवादी संख्याः– 9 व 10 की अंकित भूमि अनुसार संयुक्त खाता का खाता विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 55/43 के खाता में प्रतिवादी संख्याः–9 रणजीत सिंह का हिस्सा 64/6453 व प्रतिवादी संख्या 10 बलजीत कौर पुत्री सतजीत सिंह का हिस्सा 7/717 मुरब्बा नमबरः –25 के किला नम्बरः–1 की 0.0258, 10 की 0.0258, किला नम्बर 11 में 0.0258, किला नम्बर 20 में 0.0258 व किला नम्बर 21 में 0.024 कुल 1.27 हैक्टयर भूमि का खाता विभक्त कर उपरोक्तानुसार विभाजन अनुसार डिक्री जारी की जावे व उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है, वाद में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की भूमि संयुक्त खाता में है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति का जवाब पेश किया जा चुका है। प्रतिवादीगण 1 ता 7, 9 ता 11 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर निर्णय किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 ता 11 के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जावे। वकील वादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के साथ प्रतिवादीगण की भूमि का प्रस्ताव भंगवाया जाकर निर्णय किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 5 ए छोटी, पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 55/43 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता की आराजी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खाता विभाजन किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। वाद वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 ता 11 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 223 दिनांक 15.01.2025 के प्रस्ताव भिजवाया गया जिस पर वकील वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वकील प्रतिवादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई एवं मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	कृष्ण गोयल पुत्र देवीदयाल गोयल हिस्सा 506/6453 रहन एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर) रिम्पी गोयल पत्नी कृष्ण गोयल हिस्सा 506/6453 रहन एचडीएफसी बैंक श्रीगंगानगर खातेदार(**वादीगण**)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 3(0.0358), 8(0.0358), 13(0.0357), 18(0.0357), 23(0.033), 2(0.1707), 9(0.1707), 12(.1708), 19(0.1708), 22(0.152) कुल 1.012 हैक्टर नहरी
2	प्रभजोत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह हिस्सा 167/717 रहन पी.एन.बी. ,शाखा कृषि मण्डी श्रीगंगानगर, मनजोत कौर पत्नी प्रभजोत सिंह हिस्सा 506/6453 खातेदार(प्रतिवादी संख्या 1 व 2)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 5(0.253), 6(0.253), 15(0.253), 16(0.253), 25(0.228), 3(0.157), 8(0.157), 13(0.157), 18(0.157), 23(0.141) कुल 2.009 हैटर
3	जसवन्ती पत्नी फताराम 323/2151 खातेदार (प्रतिवादी संख्या 6)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1(0.1977), 10(0.1977), 11(0.1978), 20(0.1978), 21(0.178) कुल 0.969 हैक्टर नहरी
4	गायत्री देवी पत्नी दयाराम हिस्सा 61/717 खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी. श्रीगंगानगर (प्रतिवादी संख्या 7)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1(0.0295), 10(0.0295), 11(0.0295), 20(0.0295), 21(0.026), 2(0.0823), 9(0.0823), 12(0.0822), 19(0.0822), 22(0.076) कुल 0.549 हैक्टर नहरी
5	करनदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह हिस्सा 403/6453, कुलदीप सिंह पुत्र भाग सिंह हिस्सा 272/2151, जसवीर कौर पत्नी कुलदीप सिह 316/6453 खातेदार	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 4(0.253), 7(0.253), 14(0.253), 17(0.253), 24(0.228), 3(0.0602), 8(0.0602) 13(0.0603), 18(0.0603), 23(0.054), कुल 1.535 हैक्टर नहरी .

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

	(प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5)	
6	बलजीत कौर पुत्री सतजीत सिंह हिस्सा 7/717, रणजीत सिंह पुत्र सतजीत सिंह हिस्सा 64/6453 खातेदार (प्रतिवादी संख्या 9, 10)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1(0.0258), 10(0.0258), 11(0.0257), 20(0.0257), 21(0.024) कुल 0.127 हैक्टर
7	हरपाल सिंह पुत्र भजन सिंह जाति जट सिख हिस्सा 56/2151 हैक्टर मुतविक जमाबंदी परन्तु मौका अनुसार (प्रतिवादी संख्या 11)	चक 5 ए छोटी के मुरबा नम्बर 9 किला नम्बर 2(0.253) हैक्टर नहरी

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.01.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner